संख्या– / XV-2 / 01(13) / 2006(डेरी)

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2012:

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत (सामान्य) अन्तर्गत महिला डेरी विकास योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1349–51/लेखा–प्रस्ताव आयो0 सामान्य पत्रा0/2011–12, दिनांक 28–11–2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1472/XV-2/01(13)/2006, दिनांक 23–12–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में संलग्न बी0एम0–15 अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से महिला डेरी विकास योजना सामान्य के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्टेशन मद में कुल धनराशि ₹ 39.99 लाख (₹ उन्तालिस लाख निन्यानवें हजार मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशी का आहरण कर महिला डेरी विकास परियोजना को उपलब्ध करायेगे। इस धनराशि को महिला डेरी परियोजना में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान पर ही व्यय किया जायेगा। धनराशि अवशेष होने की दशा में दिनांक 31–03–2012 को समर्पित की जायेगी।
2. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय। धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

2/–

5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
6. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2404–डेरी विकास–00– आयोजनागत– 102–डेरी विकास परियोजनायें–04–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–416(P)/वित्त–4/2012, दिनांक 26–मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(अरूण कुमार ढौंडियाल)

सचिव।

संख्या : 120/XV-2/01(13)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर,देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)

संयुक्त सचिव।

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–02
आयोजनागत

प्रपत्र बी0एम0–15
वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुर्नविनियोग
नियंत्रक अधिकारी–सचिव, पशुपालन विभाग डेरी विकास
अनुदान संख्या–28

(धनराशि ₹ हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (दि0 31.12.11 तक)	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद कालम–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–परियोजनाये–08–सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायक – 4000 (क)	–	1	3999	2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकासपरियोजनाये–04–महिला डेरी विकास योजना –00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायक – 3999 (ख)	17999	1	क– आवश्यकता न होने के कारण। ख– आवश्यकता होने के कारण। (वेतन भुगतान हेतु)
योग :– 4000	–	1	3999	3999	17999	1	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग के बजट मैनुअल के परिछेद 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों व सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
संख्या– 416/वित्त अनुभाग–4/2012
देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2012

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या– 120/XV-2/1(13)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
2. वित्त अनुभाग–04.

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।